केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली–110 067

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
23 OCT 2020
D. No.........
Initials.......

CICOM/A/P/20/00088
CICOM/R/P/20/00343

अपीलकर्ता का नाम : श्रीमती हरदेवी
जी–11, सप्तऋषि अपार्टमेंट,
आवास विकास, आगरा, उत्तर प्रदेश।
पिन–232 007

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	31.07.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	11.09.2020
3.	सीपीआईओ का विवरण	श्री एस0 सी0 शर्मा, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार।
4.	प्रथम अपील की तिथि	11.09.2020
5.	प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि	28.09.2020
6	निर्णय की तिथि	20.10.2020

1. वाद का संक्षीप्त विवरण :

प्रार्थिनी ने अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से आयोग द्वारा निस्तारित उनकी द्वितीय अपीलों संख्या CIC/NCFSC/A/2018/174782, 174784 तथा 174785 और द्वितीय अपील संख्या CIC/NCFSC/A/2018/160015 तथा 159893 का संदर्भ देते हुए उनसे संबंधित सूचना की मांग कुल 12 बिंदुओं के अंतर्गत की थी, जिसमें उक्त द्वितीय अपीलों की सुनवाई आयोग द्वारा किये जाने संबंधी सुनवाई नोटिस तथा संबंधित आदेशों को प्रार्थिनी को प्रेषित किए जाने का माध्यम (डाक, ई–मेल आदि) तथा स्पष्टीकरण, प्रार्थिनी के पुत्र द्वारा संबंधित सूचना आयुक्त एवं डिप्टी रजिस्ट्रार के विरूद्ध दिनांक 11.05.2020, 08.07.2020, 15.07.2020 एवं 29.07.2020 को प्रेषित शिकायतों की की गयी कार्रवाई के विवरण, द्वितीय अपीलीय आदेश का अनुपालन संबंधित प्रतिवादी पक्ष द्वारा नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध आयोग द्वारा की गयी कार्रवाई के विवरण, विभिन्न तिथियों को प्रेषित पत्रों पर की गयी कार्रवाई और अन्य संबंधित सूचना की मांग की गयी थी।

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :

अपीलकर्ता के उक्त आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री एस0 सी0 शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार ने प्रार्थिनी को दिनांक 11.09.2020 के पत्र के माध्यम से बिंदुवार सूचना/जवाब प्रेषित की।

3. प्रथम अपील का आधार :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उक्त जवाब से असंतुष्ट होकर प्रार्थिनी ने प्रथम अपील दाखिल की है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी ने अपने प्रथम अपील में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना के विरूद्ध कोई विशिष्ट शिकायत नहीं की है, बल्कि यह अभियोग लगाया है कि उन्हें निर्धारित अवधि में कोई भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

4. निर्णय :

प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के माध्यम से वांछित प्रत्येक सूचना के संदर्भ में तथ्यात्मक सूचना/जवाब प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत केवल वह सूचना, जो लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध और उसके द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, प्रदान की जा सकती है। एक जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह उस सूचना का निर्माण करे, जो रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। उससे यह भी अपेक्षित नहीं है कि वह परिकल्पित प्रश्नों का जवाब दे अथवा सूचना की व्याख्या करे। प्रस्तुत संदर्भ में एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रार्थिनी द्वारा वांछित कई सूचना क्यों और कैसे प्रश्नों पर आधारित है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत 'सूचना' की परिभाषा में नहीं आता है। मुम्बई उच्च न्यायालय की गोवा खण्डपीठ ने रिट याचिका संख्या 419/2007, सिल्सा पिन्टो बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग, मामले में दिनांक 03.04.2008 को दिये गए अपने निर्णय में इस तथ्य को रेखांकित किया है। इस प्रकार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथ्यात्मक और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं, वे चाहें तो प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध के केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष प्रस्तुत निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक – 20 अक्टूबर, 2020

मीना शर्मा
20/10/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि:-

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई स्कंध, सीआईसी, नई दिल्ली।
2. श्री एस0 सी0 शर्मा, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार, सीआईसी, नई दिल्ली।

23/10/20

23/10